

## प्राक्कथन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2016-22 की अवधि को आच्छादित करते हुए 'सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उत्तराखण्ड सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

